न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 63/2016 – निगरानी

1. भोनीराम पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी फतहपुरा ग्राम पंचायत नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा	बनाम	1. सोहनलाल पिता प्रताप बलाई निवासी फतहपुरा तहसील रायपुर 2. ग्राम पचांयत नाहरी तहसील रायपुर जरिये सरपंच/सचिव
–निगराकार		– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत नाहरी पत्रावली सं. 14 दिनांक 20.08.2005 पटटा सं. 182

उपस्थित –

1. श्री पर्वतसिंह चुण्डावत अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री देवेन्द्र सिंह भाटी अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 08.08.2019

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा आवेदन किये जाने पर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा पत्रावली सं. 14 दर्ज करते हुए दिनांक 20.08.2005 को गैर निगराकार सं. 01 को उक्त पुश्तैनी पटटा जारी कर दिया, जबकि पुश्तैनी मकान का पटटा उसी व्यक्ति को जारी किया जा सकता हैं जो पचास वर्ष से भी अधिक समय से भूमि पर काबिज हो व उस पर रिहायशी मकान बना हुआ हो तो उसका नियमन करते हुए पुश्तैनी पटटा जारी किया जा सकता है। उक्त भूखण्ड पर गेर निगराकार सं. 01 का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं हैं और न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कर रखा हैं। इस भूखण्ड पर बम्बूल के वृक्ष खडे हुए हैं। उक्त पुश्तैनी पटटा जारी करते समय किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण, स्थानीय कमेटी द्वारा जांच व आपत्तियां चस्पानगी नहीं की गयी। उक्त पटटा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 143 से लगायत 158 तक अंकित प्रावधानों व प्रकिया की पालना नहीं करते हुए गैर कानूनी तरीके से पटटा जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य हैं। नियम 155 के तहत किसी तरह को कोई कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया गया और न ही उक्त भूखण्ड के वास्तविक मूल्य की राशि गैर निगराकार सं. 01 ने पंचायत में जमा करवायी है। निगराकार को उक्त भूखण्ड की नकल प्राप्त करने पर उक्त पटटे की जानकारी हुयी। समयावधि कण्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 को जारी पटटा सं. 182 पत्रावली सं. 14 निर्णय दिनांक 20.08.2005 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 19.06.2016 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली तलब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा (राज.)

की गयी। गैर निगराकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया ।

उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1 से लगायत 11 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि गैर निगराकार सं. 01 द्वारा आवेदन किये जाने पर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा पत्रावली सं. 14 दर्ज करते हुए दिनांक 20.08.2005 को गैर निगराकार सं. 01 को उक्त पुश्तैनी पटटा जारी कर दिया, जबकि पुश्तैनी मकान का पटटा उसी व्यक्ति को जारी किया जा सकता हैं जो पचास वर्ष से भी अधिक समय से भूमि पर काबिज हो व उस पर रिहायशी मकान बना हुआ हो तो उसका नियमन करते हुए पुश्तैनी पटटा जारी किया जा सकता है। उक्त भूखण्ड पर गेर निगराकार सं. 01 का वर्तमान में कोई कब्जा नहीं हैं और न ही किसी प्रकार का कोई निर्माण कर रखा हैं। इस भूखण्ड पर बम्बूल के वृक्ष खडे हुए हैं। उक्त पुश्तैनी पटटा जारी करते समय किसी प्रकार का स्थल निरीक्षण, स्थानीय कमेटी द्वारा जांच व आपत्तियां चस्पानगी नहीं की गयी। उक्त पटटा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 143 से लगायत 158 तक अंकित प्रावधानों व प्रकिया की पालना नहीं करते हुए गैर कानूनी तरीके से पटटा जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य हैं। नियम 155 के तहत किसी तरह को कोई कब्जा भी सुपुर्द नहीं किया गया और न ही उक्त भूखण्ड के वास्तविक मूल्य की राशि गैर निगराकार सं. 01 ने पंचायत में जमा करवायी है। उक्त पटटा पुश्तैनी जारी किया गया जबकि भूखण्ड कीमतन होने से निलामी द्वारा विक्रय किया जाना चाहिये था। मिसल पत्रावली की ऑर्डरशीट पर दिनांक अंकित नहीं हैं एवं केवल सरपंच के ही हस्ताक्षर किये हुए है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त भूखण्ड पर मकान बनने का कोई उल्लेख नहीं हैं, जिससे सिद्ध होता हो कि मकान पुश्तैनी हैं। कोई सिविल शूट पेण्डिग नहीं हैं। illigal Act में मियाद का कोई महत्व नही हैं, कभी भी challenge कर सकते हैं। आर्डरशीट पर दिनांक 05.09.2005 को पटटा जारी करने की स्वीकृति दी गयी, जबकि पटटा पत्रावली में पटटा सं. 182 दिनांक 20.08.2005 को ही जारी हो गया। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैर निगराकार सं. 01 को जारी पटटा सं. 182 पत्रावली सं. 14 निर्णय दिनांक 20.08.2005 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

गैर निगराकार सं. 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त निगरानी मियाद बाहर हैं। पटटे जारी होने के लम्बे समय पश्चात निगरानी पेश की गयी इसका कोई कारण नही बताया गया। इस पटटे बाबत् सिविल कोर्ट में प्रकरण लम्बित चलना बताया है, इसके दस्तावेज निर्णय दिनांक से पूर्व पेश करने हेतु निवेदन किया। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि प्रार्थी सोहनलाल के रियायती दर पर भूखण्ड दिलाने हेतु आवेदन पर ग्राम पंचायत नाहरी द्वारा मिसल कायम कर प्रार्थी सोहनलाल को पटटा सं. 182 मिसल सं. 14 में निर्णय दिनांक 20.08.2005 से क्षैत्रफल 135 बाई 35 वर्गफीट का पटटा जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली में मौका निरीक्षण रिपोर्ट में यह अंकित नहीं किया हैं कि उक्त भूखण्ड पर पुश्तैनी मकान हैं अथवा नहीं। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच के हस्ताक्षर है, कमेटी के तीनों सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आबादी तलिया में भी सरपंच के हस्ताक्षर हैं, कमेटी के हस्ताक्षर नहीं हैं एवं न ही नक्शा जारी करने वाले के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी सोहनलाल के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। ग्राम पंचायत नाहरी की आज्ञाओं की सूची आर्डर शीट मे दिनांक 05.07.2005 की आर्डर शीट में प्रस्ताव सं. एवं दिनांक रिक्त है। पत्रावली में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 की पालना की जाना, स्पष्ट नही हैं एवं पटटा जारी करने से पूर्व कितनी राशि जमा कराने के आदेश दिये, इसका भी उल्लेख नहीं किया गया। आर्डर शीट दिनांक 05.09.2005 से पटटा जारी किये जाने की स्वीकृति दी गयी जबकि पटटा बही अनुसार दिनांक 20.08. 2005 को ही पटटा जारी किया जाना अंकित है। ग्राम पंचायत नाहरी द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को कुल 4725 वर्गफीट भूमि का पटटा जारी किया गया, जबकि ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज यानि 2700 वर्गफीट क्षैत्रफल तक का पटटा जारी करने का अधिकार हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत नाहरी ने 2700 वर्गफीट से अधिक क्षैत्रफल का पटटा जारी कर विधि विरूद्व कार्य किया हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेज अनुसार गैर निगराकार सं. 01 को विधि विरूद्व पटटा जारी होने से पटटा खारिज योग्य ठहरता हैं। निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत नाहरी, तहसील रायपुर द्वारा जारी पटटा सं. 182 मिसल सं. 14 निर्णय दिनांक 20.08.2005 के संबंध में निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत नाहरी, तहसील रायपुर द्वारा जारी पटटा सं. 182 मिसल सं. 14 निर्णय दिनांक 20.08.2005 को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड ग्राम पंचायत नाहरी तहसील रायपुर को प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा